न्यायालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	अजय कुमार पूनिया, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी संख्या	2875/2026
CIS NO.	2875/2026
CNR NO.	RJCH020033812026
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	217/2016
अंतर्गत धारा	451, 323, 324, 326, 427 IPC
पुलिसथाना	कोतवाली, चूरू

सरकार

बनाम

01. नदीम पुत्र रफीक, उम्र 32 साल, निवासी वार्ड नंबर 8, चूरू (राज.) ।

-अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 451, 323, 324, 326, 427 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता-श्री विकास सैनी वास्ते अभियुक्त।

Date of Offence	20.09.2016
Date of FIR	20.09.2016
Date of Chargesheet	11.03.2025
Date of Framing Charges	04.07.2026
Date of Commencement evidence	04.07.2026
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	15.07.2026
Arguments heard on	31.07.2026
Date of the Judgement	31.07.2026

-: निर्णय :- **दिनांकः-31.07.2026**

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी असलम ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 कोतवाली थाना चूरू में साररूप में इस आशय की पेश की कि उसका मकान वार्ड स.12 चूरू में स्थित है आज दोपहर एक बजे के लगभग

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

की बात है वे अपने घर मे थे तो अब्बास, दानजी पुत्रगण सलाऊदीन अख्तर, गुलाम गोस पुत्रगण सलाऊदीन, नदीम पुत्र दानजी, वाहिद, समीर पुत्रगण अख्तर, उमर आरीफ पुत्रगण लाल मोहमद, अहमद, सालीम पुत्रगण उमर, नाजीम पुत्र जाबीर पठान, हैदर पुत्र मुराद अली, नासीर पुत्र मकसूद, तारिफ पुत्र सदका व 10-12 अन्य व्यक्तियों ने एक राय होकर उसके घर में नाजायज रूप से प्रवेश किया तथा सभी लाठी, डण्डों, बर्छी से लैस होकर आये जमील के नदीम ने बर्च्छी मारी अन्य ने लाठी डण्डों से मारपीट किया, जिससे अब्दुला, मुबारीक, उसके व जमील के काफी चोटे आई है । इन लोगों ने ईट पत्थरों की बोछार कर दी इन लोगों कशमीरा, सलमा, कलसुम हसीना को बेईज्जीत करने की नियत से कपडे खींचे तथा मारपीट की तथा मोटरसाईकिल व घरेलू सामान को तोड दिया उपरोक्त सभी काजी निवासीगण वार्ड स.08 व 12 के है....इत्यादि ।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिसथाना कोतवाली, चूरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 217/2016 अपराध अंतर्गत धारा 452, 323, 143, 427, 336 भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीबद्ध कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त नदीम के विरुद्ध धारा 451, 323, 324, 326, 427 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसके विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर उपरोक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया ।
3. अभियुक्त नदीम को धारा 451, 323, 324, 326, 427 भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो सुन-समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन में पीडब्ल्यू 01 असलम, पीडब्ल्यू 02 मुबारक व पीडब्ल्यू 03 मोहम्मद जमील के बयान लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 कानूनी कार्यवाही बाबत रिपोर्ट, प्रदर्श पी 2 नक्शा मौका, प्रदर्श पी 3 असलम चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श पी 4 बयान मुबारक अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी, प्रदर्श पी 5 चोट प्रतिवदेन मुबारक, प्रदर्श पी 6 बयान मोहम्मद जमील अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी, प्रदर्श पी 7 चोट प्रतिवेदन मोहम्मद जमील को प्रदर्शित करवाया गया ।
4. बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त को धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया व जाहिर किया कि वह निर्दोष है एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहने पर बंद की गई।

5. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित

है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि परिवादी सहित सभी गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है । अभियुक्त को संलिप्त करने बाबत ठोस साक्ष्य का पूर्णतः पत्रावली में अभाव है एवं पक्षकारों में मध्य राजीनामा हो गया है । अंततः अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।
7. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई । पत्रावली व सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में परिवादी द्वारा बाद अनुमति अपराध अंतर्गत धारा 451, 323, 427 भारतीय दंड संहिता में अभियुक्त से राजीनामा कर अपराध का शमन किया जा चुका है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण में केवल निम्न विचारणीय बिंदु शेष हैः-

   A. आया अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2016 को समय दोपहर 1 बजे परिवादी व उसके परिजन के साथ स्वेच्छया धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा परिवादी के पुत्र जमील को खतरनाक हथियार अथवा साधन से वार कर गंभीर उपहति कारित की?

   यदि हां तो उचित दंड क्या होगा ?

8. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन की ओर से 03 गवाह स्वयं परिवादी पीडब्ल्यू 01 असलम, पीडब्ल्यू 02 मुबारक एवं पीडब्ल्यू 03 मोहम्मद जमील परीक्षित हुए हैं । ये तीनों गवाहान न्यायालय में अभियोजन के पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा ऐसा कोई भी कथन नहीं करते है, जो यह प्रकट करता हो कि अभियुक्त द्वारा परिवादी व उसके परिजन के साथ स्वेच्छया धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति तथा परिवादी के पुत्र जमील को खतरनाक हथियार अथवा साधन से वार कर गंभीर उपहति कारित की हो । ये तीनों गवाह चोट गिरने पडने से लगने बाबत कथन करते हैं एवं ऐसे लेशमात्र भी कथन नहीं करते है, जो यह प्रकट करते हो कि अभियुक्त द्वारा परिवादी व उसके परिजन को चोटे कारित की गई हो।
9. इस प्रकार प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं आहतगण अभियोजन के प्रकरण व लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 का न्यायालय में लेशमात्र भी समर्थन नहीं करते हैं ।

10. अतः अभियोजन अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है । इस कारण अभियुक्त नदीम को आरोपित अपराध धारा 324, 326 के अपराध में संदेह का लाभ देकर तथा धारा 451, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

11. अतः अभियुक्त नदीम पुत्र रफीक, उम्र 32 साल, निवासी वार्ड नंबर 8, चूरू (राज.) को आरोपित अपराध धारा 324, 326 के अपराध में संदेह का लाभ देकर तथा धारा 451, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है । अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

12. निर्णय आज दिनांक 31.07.2026 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर विवृत्त न्यायालय में उद्घघोषित किया गया।

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)